भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2191
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामले

2191 प्रो. मनोज कुमार झा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधिनियमन के पश्चात् उसके अंतर्गत अपील, पुनरीक्षण, अंतरण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय तक पहुँचे मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विचारण न्यायालय के निर्णय की अपीलीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई, उसे संशोधित किया गया, अथवा रद्द किया गया ;

(ग) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय कितना है ; और

(घ) क्या सरकार न्यायिक प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की गतिविधि तथा निपटान संबंधी आँकड़े रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जाँच करने, अपराधों की रोकथाम करने तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन पर निहित है।

केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श जारी करती है, जिसमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम पर बल दिया जाता है । उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील, पुनरीक्षण, स्थानांतरण तथा याचिकाओं के माध्यम से पहुँचे मामलों के संबंध में आंकड़े केंद्रीय रुप से नहीं रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, अपीलीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई निश्चित समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों का समयबद्ध निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, अंतर्विष्ट मामलों के तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति और हितधारकों अर्थात् बार अनवेषण अभिकरण, साक्षियों तथा वादकारी का सहयोग भी शामिल है।

तथापि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित "क्राइम इन इंडिया 2024" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुल 55,685 मामले तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कुल 9,961 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए थे । वर्ष 2024 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि दर अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में 33.9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में 33.2 प्रतिशत थी ।
